

FIRST INFORMATION REPORT
(Under Section 173 B.N.S.S)

प्रथम सूचना रिपोर्ट
(धारा 173 बी एन एस एस के तहत)

1. District (जिला): State Vigilance & Anti Corruption Bureau, Haryana P.S. (थाना): ACB, Karnal Year (वर्ष): 2026

FIR No. (प्र.सू.रि. सं.): 0003

Date and Time of FIR (प्र.सू.रि. की दिनांक और समय):
14/03/2026 14:09 hrs

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धारा(एँ))
1	PREVENTION OF CORRUPTION ACT, 1988	7A
2	PREVENTION OF CORRUPTION ACT, 1988	7

3. (a) Occurrence of offence (अपराध की घटना):

1 Day (दिन): Intervening Days Date from (दिनांक से): 16/02/2026 Date To (दिनांक तक): 14/03/2026
Time Period (समय अवधि): Time From (समय से): 10:00 hrs Time To (समय तक): 12:05 hrs

(b) Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई): Date (दिनांक): 14/03/2026 Time (समय): 13:18 hrs

(c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ): Entry No. (प्रविष्टि सं.): 006 Date and Time (दिनांक और समय): 14/03/2026 13:18 hrs

4. Type of Information (सूचना का प्रकार): Written

5. Place of Occurrence (घटनास्थल):

1. (a) Direction and distance from P.S. (थाना से दूरी और दिशा): NORTH-EAST, Beat No. (बीट सं.): 120 Km(s)

(b) Address (पता): Jind,

(c) In case, outside the limit of this Police Station, then Name of P.S. (यदि थाना सीमा के बाहर है तो थाना का नाम):

District (State) (जिला (राज्य)):

6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):

(a) Name (नाम): निरीक्षक प्रवीन कुमारी

(b) Father's/Husband's Name (पिता/पति का नाम):

(c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष): 1980

(d) Nationality (राष्ट्रियता): INDIA



(e) PAN No. (यूआईडी सं.):

(f)

Date of Issue (जारी करने की दिनांक):

Place of Issue (जारी करने का स्थान):

(g) ID Details (Ration Card, Voter ID Card, Passport, UID No., Driving License, PAN) (पहचान विवरण (राशन कार्ड, मतदाता कार्ड, पासपोर्ट, यूआईडी सं., ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड))

S. No. (क्र.सं.) ID Type (पहचान पत्र का प्रकार)

ID Number (पहचान संख्या)

(h) Occupation (व्यवसाय):

(i) Address

(पता):

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	Present Address	2206 sector 7, ACB, Karnal, State Vigilance & Anti Corruption Bureau, Haryana, HARYANA, INDIA
2	Permanent Address	2206 sector 7, ACB, Karnal, State Vigilance & Anti Corruption Bureau, Haryana, HARYANA, INDIA

(j) Phone number (दूरभाष सं.):

Mobile (मोबाइल सं.): 91-7027786101

7. Details of known / suspected / unknown accused with full particulars (ज्ञात / संदिग्ध / अज्ञात अभियुक्त का पूरे विवरण सहित वर्णन):

S. No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Present Address (वर्तमान पता)
1	प्रीतम LM Clerk कार्यालय S.E. बिजली विभाग जीन्			1. कार्यालय SE बिजली विभाग, JIND, HARYANA, INDIA

8. Reasons for delay in reporting by the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9. Particulars of properties of interest (संबन्धित सम्पत्ति का विवरण):

S. No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value (In Rs/-) (मूल्य (रु में))

10. Total value of property (In Rs/-) (सम्पत्ति का कुल मूल्य (रु में)):

11. Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी. प्रकरण सं., यदि कोई हो):

S. No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.डी. प्रकरण सं.)



12. First Information contents (प्रथम सूचना तथ्य):

सेवा में, प्रबन्धक अफसर, थाना राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, करनाल मण्डल, करनाल। श्रीमान जी. निवेदन यह है कि संजय कुमार पुत्र श्री बलवीर सिंह निवासी मकान न0 74/21 हरिनगर नरवाना जिला जीन्द की शिकायत कार्यालय राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, उप-केन्द्र जीद में दिनांक 16.02.2026 को प्राप्त होने पर

शिकायत की तस्दीक निरीक्षक दिनेश कुमार कार्यालय रा.स.एवं भ.नि.ब्यूरो, उप-केन्द्र जीद के द्वारा अमल में लाई गई जो तस्दीक उपरान्त निरीक्षक दिनेश कुमार के द्वारा अपनी तस्दीक रिपोर्ट को पत्र क्रमांक 60/रा.स एवं भ.नि.ब्यूरो/जीन्द दिनांक 16.02.2026 अनुसार कार्यालय पुलिस अधीक्षक, राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, करनाल में पेश की और कार्यालय पुलिस अधीक्षक, राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, करनाल मण्डल, करनाल के द्वारा पत्र क्रमांक 511/रा.स.एवं भ.नि.ब्यूरो/करनाल दिनांक 02.02.2026 अनुसार शिकायत की तस्दीक रिपोर्ट पर अभियोग अंकित करवाने हेतु कार्यालय पुलिस महानिदेशक, राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, पंचकुला को भेजी गई थी। कार्यालय पुलिस महानिदेशक, राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, हरियाणा पंचकुला के द्वारा तस्दीक रिपोर्ट से सहमत होने उपरान्त अभियोग दर्ज करने हेतु पत्र क्रमांक 4236/शिकायत/73/ करनाल/2026 दिनांक 12.03.2026 अनुसार आदेश प्राप्त होने पर कार्यालय पुलिस अधीक्षक, राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, करनाल मण्डल, करनाल के डायरी क्रमांक 602 दिनांक 13.03.2026 अनुसार मन निरीक्षक को आज दिनांक 14.03.2026 को प्राप्त हुई है जो संजय कुमार उपरोक्त के द्वारा दी शिकायत इस प्रकार से है कि "मैं संजय कुमार पुत्र श्री बलवीर सिंह निवासी मकान न0 74/21 हरिनगर नरवाना जिला जीन्द का रहने वाला हूँ और दिनांक 01.02.2024 से गांव छातर के शिकायत केन्द्र के अन्तर्गत उचाना सब डिविजन ओ.पी. बिजली विभाग में L.M. के पद पर कार्यरत रहा हूँ और अब सितम्बर-2026 से लोधर शिकायत केन्द्र पर कार्यरत हूँ। मेरे खिलाफ एक चार्जशीट की प्रक्रिया गुरुकुल खेडा अलीपुरा के मामले में करसिंधु शिकायत केन्द्र के अधीन चल रही है। गुरुकुल खेडा अलीपुरा मेरे अधिकार क्षेत्र में ना आकर करसिंधु शिकायत केन्द्र के अन्तर्गत आता है। इस बारे में मैंने मौखिक तौर पर प्रार्थना जे.ई. से लेकर एस0ई0 तक को की थी कि यह चार्जशीट मेरे खिलाफ नहीं बनती क्योंकि मैं इस क्षेत्र में कार्यरत नहीं था और इस बारे में मैंने अपना जवाब विभाग को दे दिया था लेकिन मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई और मुझे मानसिक रूप से परेशान किया जा रहा है क्योंकि मेरी पदोन्नती होने वाली है। मैंने चार्जशीट के सम्बन्ध में S.E. कार्यालय जीन्द में प्रीतम LM/Clerk जो बतौर स्टेनो का कार्य कर रहा है से दिनांक 10.02.2026 को मिलकर उससे बातचीत की जिसने मुझे कहा कि तुम्हारी चार्जशीट के मामले में तुम मुझे 20,000/- रुपए S.D.O. 'OP' बिजली विभाग उचाना के नाम के और 30,000/- रुपए S.E. बिजली विभाग जीन्द के नाम के जो कुल 50,000/- रुपए दोनों के नाम के मुझे दे दो, मैं तुम्हारी चार्जशीट को दोनो अधिकारियों से फाईल करवा दूंगा। प्रीतम कर्मचारी से कई बार प्रार्थना करने पर वह SDO के नाम के 20,000 रुपए की जगह 15,000/- रुपए लेने पर सहमत हो गया और उसके कहे अनुसार मैंने 15,000/- रुपए दिनांक 10.02.2026 को गुगल पे के माध्यम से प्रीतम के मो.न. 95414-17733 पर भेज दिए हैं। इसके बाद दिनांक 11.02.2026 को प्रीतम ने मेरी चार्जशीट पर कार्यालय SDO बिजली विभाग उचाना से दफतर दाखिल करने के कमेंट करवाकर XEN नरवाना के कार्यालय में भिजवा दी थी। दिनांक 13.02.2026 को प्रीतम LM/Clerk ने मेरी चार्जशीट को SE साहब जीन्द से दफतर दाखिल करवाने के लिए मुझे कार्यालय SE 'OP' बिजली विभाग जीन्द में 30,000/- रुपए लेकर बुलवाया था। दिनांक 13.02.2026 को मैंने रिश्त की राशि प्रीतम LM/Clerk को उसके कहे अनुसार देने गया तो उसने बतलाया कि मैंने तेरी चार्जशीट फाईल को XEN नरवाना से ठीक फारवर्ड करवाकर SE कार्यालय को भिजवा दी है। तुम मुझे दिनांक 16.02.2026 को मिल लेना, मैं इसे SE साहब से भी दाखिल दफतर करवा दूंगा। मैंने रिश्त की मांग बारे प्रीतम LM/Clerk कार्यालय SE बिजली विभाग जीन्द की आवाज रिकार्डिंग की हुई है, जिसकी सी.डी. मेरी व प्रीतम के माध्यम हुई व्हाट्सएप कॉल व चैट के स्क्रीनशॉट साथ लफ है। दिनांक 16.02.2026 को मैंने रिश्त के पैसे प्रीतम उपरोक्त को देने के लिए उससे सम्पर्क किया तो उसने मेरे से बात करने में आनाकानी की और मिलने से इन्कार कर दिया। इस भ्रष्ट कर्मचारी प्रीतम LM/Clerk कार्यालय S.E. बिजली विभाग जीन्द ने सरकारी कार्य करने की एवज में मुझसे रिश्त की मांग की है, इसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जावे" जो प्राप्त शिकायत के मजबुन से व सी.डी. मे रिश्त की मांग करने की रिकार्डिंग आवाज के हिन्दी अनुलेखन के अध्ययन से व आरोपी प्रीतम LM/Clerk कार्यालय S.E. बिजली विभाग जीन्द के द्वारा पुर्व मे रिश्त राशि प्राप्त करने पर धारा 7ए,7 पी.सी. एक्ट 1988 का अपराध किया है। जिसके खिलाफ धारा 7,7A PC Act 1988 का अपराध घटित होना पाया जाने पर तहरिर अंकित की जाकर अभियोग दर्ज किया जा रहा है। दर्ज अभियोग की स्पैशल रिपोर्ट इलाका मैजिस्ट्रेट व उच्च अधिकारीगण को भिजवाई जा रही है और यदि दौरान अनुसन्धान आरोपी प्रीतम LM/Clerk कार्यरत S.E. बिजली विभाग जीन्द के इलावा किसी अन्य अधिकारी/कर्मचारी की रिश्त की मांग करने में सम्मिलता पाई जाती है तो उसको भी अनुसन्धान के दौरान देख लिये जाने कि संस्तुति की जाती है। अभियोग में आगामी अनुसन्धान हेतु अन्य अनुसन्धान अधिकारी नियुक्त करने बारे निवेदन है। अज:- थाना रा.स.एव भ.नि.ब्यूरो, करनाल । Sd Parveen Kumari निरीक्षक, (प्रवीन कुमारी), थाना रा.स.एवं



भ.नि. ब्यूरो, करनाल मण्डल, करनाल । दिनांक 14.03.2026 At 12.05 pm.

कार्यवाही पुलिस:- उपरोक्त तहरीर पर कायमी प्रथम सूचना रिपोर्ट सख्या 03 दिनांक 14.03.2026 धारा 7,7A PC ACT 1988 थाना राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, करनाल मण्डल, करनाल दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रथम सूचना रिपोर्ट की कम्प्यूटरकृत प्रतिया तैयार करके अभियोग हजा की स्पेशल रिपोर्ट अफसरानबाला वा ईलाका मैजिस्ट्रेट सहाब जीन्द को बजरिया/ई-मेल सुचित किया गया है व नकल मिशल पुलिस मय असल तहरीर को अफसरानवाला के आदेसानुसार हवाले निरीक्षक दिनेश कुमार, थाना राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जींद के की जायेगी । यह प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रबन्धक अफसर थाना के कोड से निरीक्षक कृष्ण कुमार न0 199/KR थाना राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, करनाल मण्डल, करनाल की हाजरी में दर्ज रजिस्टर की गई है।

13. Action taken: Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2. (की गयी कार्यवाही : चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं. 2 में उल्लेख धारा के तहत है.):

(1) Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जांच के लिए लिया गया): / or (या)

(2) Directed (Name of I.O.) (जांच अधिकारी का नाम): KRISHAN KUMAR Rank (पद): I (Inspector)

No. (सं.): 671KNL to take up the Investigation (को जांच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or (या)

(3) Refused investigation due to (जांच के लिए): or (के कारण इंकार किया या)

(4) Transferred to P.S. (थाना): District (ज़िला):

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित).

F.I.R. read over to the complainant / informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant / informant, free of cost. (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई माना और एक कॉपी निशुल्क शिकायतकर्ता को दी गयी)

R.O.A.C.

(आर.ओ.ए.सी.)



Signature of Officer in charge, Police Station
(थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

14. Signature / Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान)

Name (नाम): Krishan Kumar

Rank (पद): Inspector of Police

No. (सं.): 199 KR

15. Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):

Error: Subreport could not be shown.

